-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **बसों व टैम्पों आदि में बैग की चैन खोलकर/बैग काटकर चोरी/लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले अन्तर्राज्यीय चोर गिरोह को थाना मटौंध, कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार। एक अभियुक्त के पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, चोरी का माल सहित लगभग 17 लाख रुपए के सामान/नगद रुपये सहित पेचकस, रोलकटर आदि बरामद।**
- **पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा टीम की सराहना करते हुए पूरी पुलिस टीम को 20 हजार रुपए के नगद पुरस्कार से किया गया पुरस्कृत।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजीव प्रताप सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 06.07.2025 को थाना मटौंध,कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न स्थानों से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 07 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल हो गया । गौरतलब हो कि दिनांक 05/06.07.2025 की रात्रि मे थाना मटौंध,कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थी इसी दौरान गोयरा मुगली खैरार स्टेशन के पास कुछ संदिग्ध लोग आते दिखाई दिए जो पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किए, पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करनी शुरू कर दी, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त मोहसिन के पैर में गोली लगी और वह घायल हो । अभियुक्त को गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। जाँच व पूछताछ में ज्ञात हुआ कि सभी बसों, टैक्सियों, टेम्पों आदि में चैन खोलकर/बैग काटकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते है । अभियुक्तों से पूछताछ में जानकारी हुई कि इनके द्वारा दिनांक 18.06.2025 को थाना मटौन्ध क्षेत्र से, दिनांक 27.04.2025, 23.05.2025 व 19.05.2025 को थाना कोतवाली नगर बांदा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से तथा दिनांक 17.05.2025 को कबरई जनपद महोबा क्षेत्र से चोरी/लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे सभी बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट सहित आस पास के अन्य जनपदों में आने वाले यात्रियों विशेषकर शादी-विवाह आदि कार्यक्रमों में आने-जाने वाली महिलाओं को निशाना बनाते थे और उनके बैग काटकर/चैन खोलकर आभूषण व कीमतों सामानों की चोरी करते है तथा साथ में एक गत्ता लेकर चलते है और बैग/सामानों को गत्ते में छिपा लेते है। चोरी किए गए कुछ आभूषणों को गलवाकर टंच बनवा लेते है तथा कुछ आभूषणओं को बेचकर नगद रुपये ले लेते है। पुलिस टीम द्वारा 03 कोतवाली नगर, 01 मटौन्ध तथा 01 कबरई महोबा में हुई कुल 05 चोरियों का खुलासा करते हुए लगभग 17 लाख रुपये के सामानों को बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल द्वारा अन्तर्राज्यीय गिरोह की गिरफ्तारी व विभिन्न घटनाओं के अनावरण हेतु पुलिस टीम को 20 हजार रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

बरामदगी-

- ➢ 02 अवैध तमंचा 315 बोर
- ➢ 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस
- ➢ 150.05 ग्राम पीली धातु (चोरी की)
- ➢ 600.44 ग्राम सफेद धातु (चोरी की)
- ➢ 21055 रुपये (चोरी की)
- ➢ 07 अदद् मोबाइल फोन
- ➢ पेचकस, रोल कटर, ब्लेड आदि

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मोहसिन पुत्र मोमिना निवासी अब्दुल्ला खुर्द थाना लोधी नगर जनपद बागपत (मुठभेड़ में घायल)।
2. हारुन पुत्र हामिद निवासी दोझा थाना बिनौली जनपद बागपत
3. इमरान पुत्र हामिद निवासी दोझा थाना बिनौली जनपद बागपत
4. मोहम्मद नूरुद्दीन निवासी दोझा थाना बिनौली जनपद बागपत
5. फारूक पुत्र हमीद निवासी दोजा थाना बिनौली जनपद बागपत।
6. मनोज पुत्र चंद्रपाल निवासी कुचेसर थाना बाबू गढ़ जिला हापुर।
7. इस्लामुद्दीन पुत्र सिराजुद्दीन निवासी खेड़ी कुरेरा थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-475/25 धारा 305(B) बीएनएस थाना मटौन्ध जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0-475/25 धारा 305(B) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0-483/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0-471/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0-148/25 धारा 305(B) बीएनएस थाना कबरई जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संदीप कुमार थानाध्यक्ष मटौंध मय टीम
2. श्री आनन्द सिंह प्रभारी एसओजी मय टीम
3. थाना कोतवाली नगर मय टीम

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हारुन उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 270/21 धारा 136/137 उ0प्र0 विद्युत अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 319/20 धारा 63 उ0प्र0 उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम थाना बिनौली जनपद बागपत
3. मु0अ0सं0 51/19 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।
4. मु0अ0सं0 02/19 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।
5. मु0अ0सं0 318/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।
6. मु0अ0सं0 106/20 धारा 188/269 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
7. मु0अ0सं0 832/21 धारा 136 उ0प्र0 विद्युत अधिनियम थाना बड़ौत जनपद बागपत।
8. मु0अ0सं0 786/21 धारा 136/137 उ0प्र0 विद्युत अधिनियम थाना बागपत जनपद बागपत।
9. मु0अ0सं0 232/21 धारा 136 उ0प्र0 विद्युत अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
10. मु0अ0सं0 225/21 धारा 136 उ0प्र0 विद्युत अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
11. मु0अ0सं0 242/21 धारा 379 भादवि व धारा 136/137 उ0प्र0 विद्युत अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
12. मु0अ0सं0 243/21 धारा 136/137 उ0प्र0 विद्युत अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।